



UPBJ010087012023

न्यायालय—अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी—(सीमा वर्मा), (उच्चतर न्यायिक सेवा)—UP-1662

विशेष सत्र वाद संख्या—1846/2023

उत्तर प्रदेश राज्य..... अभियोजन पक्ष।

बनाम

रामौतार सिंह पुत्र फतेह सिंह, निवासी ग्राम सुन्दरा, थाना चांदपुर,
जिला बिजनौर। अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या—4481/2020

धारा—138बी विद्युत अधिनियम

थाना—एंटी पावर थेफ्ट, जिला बिजनौर।

निर्णय

1— अभियुक्त **रामौतार सिंह** के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 4481/2020 धारा—138बी विद्युत अधिनियम, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला बिजनौर के अन्तर्गत आरोप प्रत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त रामौतार सिंह का विचारण धारा—138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत किया गया।

2— संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 26-12-2020 को समय 10.40 बजे, बहद ग्राम सुन्दरा, थाना एंटी पावर थेफ्ट थाना बिजनौर, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत पूर्व में बकाया देय पर काटे गये विद्युत कनेक्शन की चैकिंग करने पर पाया गया कि अभियुक्त का कनेक्शन संख्या—295/0162/105556 पूर्व में दि० 15-10-2020 को बकाया धनराशि के लिये अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। दौरान चैकिंग अभियुक्त ने बिना बकाया जमा करे अवैध रूप से एल०टी० लाईन से कटिया तार डालकर विद्युत चोरी करके अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुये पाया गया। तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया जिसकी रोजनामचा में प्रविष्टि अंकित की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त अभियुक्त रामौतार सिंह के विरुद्ध धारा—138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप

पत्र प्रदर्श क-6 प्रस्तुत किया गया।

3- अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा-138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

4- उक्त आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0-1 अभिषेक चौहान को परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से आदेश पत्रक पर टिप्पणी अंकित की गयी कि कोई अन्य साक्ष्य नहीं देना है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है।

5- अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकार हेतु प्रार्थना पत्र क-12 प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और जुर्म स्वीकार किया है।

6- सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

7- अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्र चैकिंग रिपोर्ट, तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, रोजनामचा आम, नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र प्रदर्श क-6 को साबित करते हुये कहा कि अभियोजन प्रपत्रों तथा साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-138बी विद्युत अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

8- अभियुक्त की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र क-12 दिया गया कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी वाद उपरोक्त को चलाना नहीं चाहता है तथा वाद उपरोक्त में अपने जुर्म का इकबाल करता है तथा माफी चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी का उपरोक्त वाद कम से कम जुर्माने के आधार पर निस्तारित करने का आदेश दिया जाये। धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त ने आरोप के कथनों को स्वीकार किया है और कहा है कि मैंने अपराध कारित किया है, मैं स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ। जुर्म स्वीकार का अर्थ मैं समझता हूँ। जुर्म स्वीकार करने से सजा भी हो सकती है। साक्षी के साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-138बी विद्युत अधिनियम का आरोप साबित होता है।

9- उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध धारा-138बी विद्युत अधिनियम

के अन्तर्गत आरोपित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त रामौतार सिंह धारा-138बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

10— अभियुक्त **रामौतार सिंह** को **धारा-138बी विद्युत अधिनियम** के अन्तर्गत आरोपित आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

11— अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

12— दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक:-08-06-2026

(सीमा वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)

बिजनौर।

दिनांक:-08-06-2026

1— पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2— सजा के बिन्दु पर अभियुक्त एवं विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त मजदूरी पेशा गरीब व्यक्ति है, अन्य कोई व्यक्ति उसके अलावा घर पर काम करने वाला नहीं है। उसके परिवार के लोग उस पर आश्रित हैं, यह अभियुक्त का पहला अपराध है। अभियुक्त को कम से कम सजा से दण्डित किया जाये। इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है।

3— दण्ड के बिन्दु पर अभियोजन एवं विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4— जहां तक दण्ड का प्रश्न है। विद्युत बिल जमा होना बताया गया है। अभियुक्त की आयु, तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा-138बी विद्युत अधिनियम के आरोपित आरोप में 6,000/-रुपये (छः हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

5— अभियुक्त **रामौतार सिंह** को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 1846/2023, मुकदमा अपराध संख्या—4481/2020, धारा—138बी विद्युत अधिनियम थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद बिजनौर के आरोप में **6,000/—रुपये (छः हजार रुपये)** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।

6— प्रश्नगत मामले में यदि कोई माल मुकदमाती है तो माल मुकदमाती मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाये, जिसे राज्य सरकार विधिनुसार निस्तारित करे।

7— प्रश्नगत मामले में संबंधित विभाग का यदि कोई शेष विद्युत देय/बकाया है तो संबंधित विभाग नियमानुसार देय/बकाया धनराशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

दिनांक:—08—06—2026

(सीमा वर्मा)

**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।**

JO CODE UP-1662

उक्त दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक:—08—06—2026

(सीमा वर्मा)

**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।**

JO CODE UP-1662